16.11.2021

RO

16.11.21
उदयलाल

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं के उपस्थित होकर वादपत्र T.I. प्रार्थना पत्र को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर वकील वादी प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से अब और आगे कार्यवाही नहीं चाहते है। पत्रावली को चलाना नहीं चाहते है अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रकरण को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है पत्रावली में कोई कार्यवाही अब की जाना न्यायोचित नहीं है। पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:24:35 IST
Reason: SelfAttested